

## भाग— ||

**(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

प्रस्ताव राज्य क्रम सं.....

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश राज्य
(ii)	ज़िला	गाजीपुर
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेंट में)	1.3691 हेक्टेंट
(v)	वन का कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
(vi)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाय) सिंचाई /जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किया जाय	रिक्त
(vii)	हरियाली का घनत्व	0.3
(viii)	भूक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	समतल एवं उपजाऊ वन-भूमि होने के कारण वानस्पतिक उपज (घास/झाड़ियों) के फलस्वरूप न्यूनतम संवेदनशील है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित सील की वन सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग व रेल मार्ग के किनारे की भूमि से अनुमानित दूरी संरक्षित घोषित है। प्रस्तावित वनेतर प्रयोग की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र से लगी है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव मण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाय)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणियों की दुर्लभ / रकिटापन / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ / तो तत्संबंधित ब्यौरा दें	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारस्परिक रथल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है तो तत्संबंधित ब्यौरा सक्षक प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हाँ, दें।	नहीं
8	उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जॉचे गये विकल्प के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से स्थित दूरी भखण्डों की संख्या प्रत्येक भखण्ड का आकार	प्रस्तावित किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	-
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	-
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	-
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयोगिता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	-
11	ज़िला वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट की विशेषतः उपर्युक्त कालम -7, 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्नक करें)	संलग्नक है।
12	विभाग / ज़िला प्राप्ताइल	
(i)	ज़िले का भौगोलिक क्षेत्र	337700 हेक्टेंट
(ii)	ज़िला का वन क्षेत्र	0 हेक्टेंट
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	10 मामले, 70.498 हेक्टेंट
(iv)	1980 से ज़िला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क)	दण्ड के रूप क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	रिक्त
(ख)	वनेतर भूमि पर	रिक्त
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	9.0067 हेक्टेंट (संरक्षित वन भूमि)
(क)	वन भूमि पर	0.136 हेक्टेंट
(ख)	वनेतर भूमि पर	
13	प्रस्ताव की स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	विकास कार्यों हेतु आवश्यक न्यूनतम संरक्षित वन का प्रयोग वनेतर कार्यों के लिए संस्तुति की जाती है। इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप पर्यावरणीय परिस्थितिक क्षति लगभग शून्य है।

दिनांक : 16.10.2017

स्थान : गाजीपुर

हस्ताक्षर  
प्रभागीय प्रतिरक्षक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
गाजीपुर

annexure (tasneef)